



2026:AHC:167794

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7881

वर्ष 2026

सुरेन्द्र कुमार

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दिलीप कुमार गोस्वामी, संजय सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : आशीष कुमार मौर्या, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार गोस्वामी, विपक्षी संख्या 2/शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री आशीष कुमार मौर्या और राज्य की ओर से एजीए के तर्क सुने और अभिलेख देखा।
2. यह प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से आपराधिक वाद संख्या 294/2025 धारा 120ख, 420, 467, 468, 471 भादं.सं, थाना - सिपरी बाज़ार, ज़िला झाँसी में अग्रिम जमानत की मांग के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उसे गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है। आगे यह भी कहा गया है कि कथित घटना 06.07.2021 को हुई थी, जबकि प्राथमिकी चार साल से ज़्यादा समय बाद 03.08.2025 को दर्ज की गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी के बारे में अभियोजन पक्ष ने कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। यह भी कहा गया है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक 06.07.2021 के विक्रय करार का एक मामूली गवाह है। उस पर कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई का आरोप नहीं है, इसलिए आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है। आगे यह भी कहा गया है कि इस न्यायालय की खंड पीठ ने आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 20980/2025 में 17.09.2025 को पारित आदेश के ज़रिए आवेदक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अब, इस मामले में 01.10.2025 को आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है और संबंधित न्यायालय ने अपराध का संज्ञान ले लिया है। आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है। अंत में, आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होगा। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदक को अग्रिम ज़मानत मिलती है, तो वह ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए और विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता ने अग्रिम ज़मानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया है। यह कहा गया है कि आवेदक मुख्य आरोपी का भतीजा है और उसे पूरी जानकारी थी कि संपत्ति पहले ही गिरवी रखी जा चुकी थी। आवेदक ने बीएनएसएस की धारा 528 के तहत प्रार्थना-पत्र संख्या 12053/2026 दायर की थी, जिसे इस न्यायालय ने 23.04.2026 के आदेश के ज़रिए खारिज कर दिया था।

5. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने हैं और अभिलेख देखे हैं।

6. इस मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और आवेदक पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसने जांच में सहयोग नहीं किया। आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है।

7. **अमन प्रीत सिंह बनाम सीबीआई, (2022) 13 एससीसी 764** मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि:

"11. ऊपर बताई गई बातों से पता चलता है कि दं.प्र.सं. की धारा 170 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते समय दंडाधिकारी के लिए यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। जिस दंडाधिकारी या न्यायालय को मामले का संज्ञान लेने या आरोपी पर मुकदमा चलाने का अधिकार है, उसे तुरंत आरोपपत्र स्वीकार करना होगा और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दं.प्र.सं. की धारा 173 के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना होगा। यह सही कहा गया है कि ऐसे मामले में दंडाधिकारी या न्यायालय को हमेशा समन जारी करना चाहिए, न कि गिरफ्तारी वारंट। अगर वह गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे दं.प्र.सं. की धारा 87 के तहत कारण दर्ज करने होंगे कि आरोपी या तो फरार है या समन का पालन नहीं करेगा या समन की उचित तामील का साक्ष्य होने के बावजूद पेश होने से इनकार कर दिया है। असल में, उच्च न्यायालय की उप-धारा (iii) में की गई टिप्पणियाँ सावधानी बरतने के बारे में हैं।

12. जहाँ तक मौजूदा मामले और दं.प्र.सं. की धारा 170 के तहत सामान्य सिद्धांतों का सवाल है, सबसे उपयुक्त टिप्पणियाँ उच्च न्यायालय के फैसले की उप-धारा (v) में हैं। यह उन मामलों के संदर्भ में है जहाँ आरोपी पर गैर-जमानती अपराध का आरोप है, लेकिन जांच के दौरान उसकी कस्टडी की ज़रूरत नहीं थी। ऐसी स्थिति में, आरोपी को ज़मानत पर रिहा करना उचित है क्योंकि जांच के दौरान उसकी गिरफ्तारी न होना या उसे हिरासत में पेश न किया जाना ही उसे ज़मानत पर रिहा होने का हकदार बनाता है। इसके पीछे का तर्क स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कई सालों से आज़ाद है और जांच के दौरान उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो सिर्फ इसलिए कि आरोपपत्र दाखिल हो गया है, अचानक उसकी गिरफ्तारी और जेल भेजने का आदेश देना ज़मानत देने के मुख्य सिद्धांतों के खिलाफ होगा। हम इससे पूरी तरह सहमत हैं।"

8. इसलिए, अग्रिम ज़मानत से जुड़े विधि के स्थापित सिद्धांतों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले से जुड़ी सभी परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना—मेरी राय में, यह मामला आवेदक को मुकदमे के पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत देने के लिए उपयुक्त है।

9. इसलिए, अग्रिम ज़मानत प्रार्थना-पत्र को इन निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

(i) अगर इस मामले में शामिल आवेदक - **सुरेंद्र कुमार** - को गिरफ्तार किया जाता है या वह पेश होता है, तो उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार ₹50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र और



उतनी ही राशि के दो ज़मानती देने पर विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

(ii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और निष्पक्ष विचारण के लिए ज़रूरत पड़ने पर संबंधित न्यायालय में पेश होगा।

(iii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि वह न्यायालय को ऐसी जानकारी देने से पीछे हट जाए; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त का पालन न करने या उसका गलत इस्तेमाल करने पर, लोक अभियोजक/जांच अधिकारी/शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय में आवेदक को दी गई अग्रिम ज़मानत निरस्त करने के लिए उचित प्रार्थना-पत्र दाखिल करने की छूट होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

11 अगस्त, 2026

राधिका